रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082026-275686
CG-DL-E-22082026-275686

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948
No. 516] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2026

फा.सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/7-टी4एसपीआई/(2)/2023 (ई-4292).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पेट्रोलियम स्थापनाओं के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2020 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. लघु शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम स्थापनाओं के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम स्थापनाओं के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2020 में, -

(a) नियम 6 में, क्रम संख्या (a) में शब्दों "....भाग - I" के बाद और शब्दों "जो कि कवर करता है...." के पहले, शब्द "और भाग - L" जोड़ा जाएगा।

(b) अनुसूची-1 में, भाग -के (ल्यूब विनिर्माण और फिलिंग संयंत्र) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"

अनुसूची – एल

(अग्नि और आपातकालीन प्रतिक्रिया संवर्धन-एफईआरए)

14.0 अग्नि और आपातकालीन प्रतिक्रिया संवर्धन सुविधाएँ

14.1 फेरा (एफईआरए) सुविधाएँ: दर्शन:

स्तर-III एक आपातकालीन स्थिति या ऐसी घटना है, जिसका स्थल के बाहर प्रभाव हो सकता है। यह विनाशकारी हो सकती है तथा इसका स्थापना के अंदर और बाहर जनसंख्या, संपत्ति और पर्यावरण को प्रभावित करने की संभावना है। इसलिए, किसी घटना को लेवल-III आपातकाल में बदलने से रोकने के लिए, 'अत्यधिक जोखिम' वाले स्थानों के लिए विशेषज्ञ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मियों सहित अग्नि एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया संवर्धन आवश्यक है। अग्निशमन सुविधाओं/आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है, ताकि आग/रिसाव/स्पिल (रसायन के फैलाव) जैसी किसी भी आपातकालीन घटना के घटित होने के समय से अधिकतम 30 मिनट के भीतर तत्काल प्रतिक्रिया आरंभ की जा सके तथा अग्निशमन कार्य प्रारंभ होने के 65 मिनट के भीतर आग पर नियंत्रण अथवा उसे पूर्णतः बुझाया जा सके, जिससे किसी भी प्रकार के विनाशकारी प्रभाव को रोका जा सकें। उच्च जोखिम वाले स्थानों के लिए, धारा ई (अग्नि सुरक्षा और निवारण सुविधाएँ) की आवश्यकताओं और अग्नि पानी, जल स्प्रिंकलर प्रणाली, फोम सिस्टम, आपातकालीन प्रतिक्रिया, आपसी सहायता और अग्निशामक मानव संसाधन तैनाती आदि से संबंधित किसी भी अन्य प्रावधान को पहचाने गए अत्यधिक जोखिम वाले स्थानों के लिए इस भाग द्वारा पूरक किया जाएगा।

14.2 प्रयोज्यता:

यह प्रावधान 'अत्यधिक जोखिम' श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्राथमिकता वाले स्थलों (वर्तमान एवं प्रस्तावित दोनों) पर निम्नानुसार लागू होगा:

(i) ऐसी पेट्रोलियम स्थापना, जिसमें श्रेणी ए और श्रेणी बी पेट्रोलियम उत्पादों का कुल भंडारण 150 टीकेएल से अधिक हो (जहां सह-अस्तित्व में हों, वहां श्रेणी सी को भी माना जाएं)।

(ii) कच्चे तेल भंडारण टर्मिनल, तटीय कच्चे तेल प्राप्ति भंडारण टर्मिनल और इसी प्रकार के रणनीतिक महत्व के कच्चे तेल हैंडलिंग टर्मिनल जिनकी कुल भंडारण क्षमता 200 टीकेएल से अधिक है।

(iii) पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों का समूह (समीपवर्ती या नजदीकी स्थान, अर्थात् 10 किलोमीटर की परिधि (त्रिज्या) के भीतर स्थित) जिनका संचयी भंडारण 150 टीकेएल से अधिक हों और जिसमें श्रेणी ए और श्रेणी बी पेट्रोलियम उत्पाद (जहां सह-अस्तित्व में हो, वहां श्रेणी सी को भी माना जाएं) शामिल हों।

टिप्पणी: फेरा सुविधाओं के कार्यान्वयन की समय-सीमा निम्नानुसार होगी:

क्रम संख्या	भंडारण क्षमता (टीकेएल में)	कार्यान्वयन की समय-सीमा (राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से)
1	150-200	5 वर्ष के भीतर
2	200-300	3 वर्ष के भीतर
3	300 और उससे अधिक	2 वर्ष के भीतर

14.3 फेरा (एफईआरए) का उद्देश्य:

(i) प्राथमिकता श्रेणी में आने वाले उच्च भंडारण क्षमता वाले पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों हेतु अत्याधुनिक अग्निशमन एवं आपातकालीन प्रबंधन सुविधाओं की उपलब्धता तथा उनकी परिचालनात्मक तत्परता सुनिश्चित करना।

(ii) प्रत्येक प्राथमिकता प्राप्त स्थान पर फेरा सुविधाओं की स्थापना एवं उनका अनुरक्षण इस उद्देश्य से किया जाएगा कि किसी भी प्रमुख दुर्घटना को उसके प्रारम्भिक चरण में ही नियंत्रित किया जा सके तथा उसे स्तर-III (स्तर-III) आपातकाल में परिवर्तित होने से रोका जा सकें। आग/रिसाव/स्पिल (रसायन के फैलाव) जैसी किसी भी घटना के घटित होने पर अग्निशमन कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाएगी, परंतु किसी भी स्थिति में घटना के घटित होने के 30 मिनट से अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। अग्निशमन कार्य प्रारम्भ होने के 65 मिनट के भीतर आग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाना चाहिए अथवा उसे पूर्णतः बुझा दिया जाना चाहिए।

(iii) तात्कालिक और प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए प्राथमिकता वाले स्थानों पर विशेषज्ञ और निपुण अग्निशामक कर्मियों की तैनाती करना।

(iv) एफईआरए के तहत उपकरणों के समूहों में कार्यान्वयन और परस्पर सहयोग के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण स्थापित करना।

14.4 फेरा (एफईआरए) सुविधाएँ: रूपरेखा, अवसंरचना, उपकरण और मानव संसाधन:

14.4.1 रूपरेखा

अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए आधारभूत रूपरेखा इन नियमों के भाग ई और लागू एनएफपीए मानकों के अनुसार होगा, जो भी अधिक हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) प्रत्येक प्राथमिकता वाले स्थान को जिसे धारा 14.2 के तहत पहचाना गया है, उसे होस्ट इंस्टॉलेशन (विशेषकर क्लस्टर के भीतर सबसे ज़्यादा डायमीटर वाले टैंक) में एफईआरए सुविधाएं स्थापित और बनाए रखनी चाहिए ।

(ii) अग्निशामक जल, फोम और अन्य अग्निशमन और बचाव उपकरण आदि को क्लस्टर में स्थित संयंत्रों के बीच साझा किया जाएगा और आपातकालीन स्थिति में क्लस्टर के अंतर्गत अन्य संयंत्रों के साथ अधिकतम 50% उपलब्ध अग्निशामक जल और फोम साझा किया जा सकेगा।

(iii) एफईआरए सुविधाओं का एकीकृत आपातकालीन नियंत्रण केंद्र (आईईसीसी) प्राथमिकता के रूप में क्लस्टरों के भीतर होस्ट इंस्टॉलेशन के उपलब्ध आपातकालीन नियंत्रण केंद्र (ईसीसी) में स्थापित किया जाना चाहिए। लगातार क्लस्टर होने की स्थिति में एकीकृत ईआरडीएमपी दस्तावेज तैयार किया जाएगा।

(iv) यदि उपर्युक्त उप-खंड (i),(ii) एवं (iii) के प्रावधान भौगोलिक सीमाओं अथवा अन्य कारणों से व्यावहारिक रूप से लागू करना संभव न हो, तो प्रत्येक पृथक स्थान को प्रमुख दुर्घटना (से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की अग्निशमन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधाएँ विकसित करनी होंगी। ऐसे स्थानों पर आग/रिसाव/स्पिल

(रसायन के फैलाव) जैसी किसी भी घटना के घटित होने पर आपातकालीन प्रतिक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी, परंतु किसी भी स्थिति में घटना के घटित होने के 30 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया प्रारंभ होना अनिवार्य होगा। साथ ही, अग्निशमन कार्य प्रारंभ होने के 65 मिनट के भीतर आग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाना चाहिए अथवा उसे पूर्णतः बुझा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसे स्थानों पर उपर्युक्त मूल अभिकल्प में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अतिरिक्त 20% अधिक जल एवं फोम भंडारण क्षमता तथा फोम/जल पम्पिंग दर उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) चरम जोखिम वाले स्थानों पर फोम यौगिक को एक क्लस्टर के भीतर समान प्रकार/विशेषताओं का होना चाहिए।

(vi) किसी भी आपातकालीन घटना के उपरांत, अग्निशमन जल, फोम तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की पुनः पूर्ति इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि अग्निशमन कार्य प्रारंभ होने के 12 घंटे के भीतर उनकी उपलब्धता वैधानिक न्यूनतम आवश्यकता के कम-से-कम 50% तक पुनर्स्थापित हो जाए तथा 'ऑल क्लियर' सायरन बजाए जाने के 24 घंटे के भीतर उन्हें वैधानिक न्यूनतम आवश्यकता के 100% स्तर तक पूर्णतः पुनः पूरित कर दिया जाए।

14.4.2 होस्ट इंस्टॉलेशन में बुनियादी ढांचा और उपकरण।

(i) सभी उपकरणों और सहायक अवसंरचना की आवश्यकताएँ, जिनमें अग्नि और फोम सुरक्षा प्रणाली, अग्नि जल प्रणाली, अग्नि जल और फोम भंडारण, अग्नि जल पंप आदि शामिल हैं, इन नियमों के भाग ई के अनुसार या नवीनतम एनएफपीए मानकों के अनुसार होंगी, जो भी उच्चतर हों। अग्नि, जल और फोम प्रणालियों का संवर्धन ज़ोखिम मूल्यांकन पर आधारित होगा, जिसमें संचयी भंडारण और आवश्यक जल/फोम के उपरांत गणना की जाएगी, उपलब्ध अग्नि-निरोधक सुविधाओं सहित किसी भी बाधा को ध्यान में रखते हुए, ताकि आवश्यक जल/फोम का अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जा सकें, जिसमें भंडारण, पंपिंग और वितरण दर/दबाव शामिल है।

(ii) मौजूदा अग्नि जल और फोम नेटवर्क को आवश्यक होने पर इस प्रकार संशोधित किया जाएं कि क्लस्टर के भीतर पर्याप्त प्रवाह दर और पानी/फोम का साझा करना सुनिश्चित हो सकें। संशोधनों में जल/फोम भंडारण, पंप सक्शन पाइपलाइन, पंप डिस्चार्ज पाइपलाइन आदि का अंतरसंबंध शामिल होना चाहिए।

(iii) यदि किसी पंपिंग का संवर्धन आवश्यक हों, तो इसे सर्वोच्च पंपिंग क्षमता वाले स्थान पर करना उचित होगा और डिस्चार्ज पाइपलाइन को क्लस्टर के प्रत्येक इंस्टॉलेशन तक वरीयता के अनुसार सबसे बड़े व्यास वाले टैंक के पास बढ़ाया जाना चाहिए।

(iv) पर्याप्त संख्या में उपकरण जैसे कि स्थिर और मोबाइल एचवीएलआर (ट्रॉली माउंटेड) के साथ-साथ पर्याप्त व्यास की नलिकाएँ (आवश्यक प्रवाह दर को सहयोग करने वाली), अग्नि निकटता सूट, एससीबीए सेट, पीपीई आदि इच्छित स्थान पर प्रदान किए जाएंगे।

(v) एफईआरए सुविधाओं का एकीकृत आपातकालीन नियंत्रण केंद्र (आईईसीसी) सभी आवश्यक दस्तावेज़ों, संचार सुविधाओं (हॉटलाइन सेवा सहित), अलार्म सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन आदि से लैस होना चाहिए, जो कि क्लस्टर के भीतर सभी स्थापनाओं के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि प्रत्येक स्थापना के आपातकालीन संचालन केंद्र (ईसीसी) के लिए अनिवार्य है।

(vi) समर्पित एफईआरए स्टेशन को मानव शक्ति के साथ-साथ आवश्यक अग्नि शमन उपकरण रखने के लिए डिजाइन किया जाएगा, अधिमानतः आईईसीसी के निकट और ऐसे स्थान पर जहां से सभी सहायक स्थापनाओं तक प्रतिक्रिया समय न्यूनतम हों।

(vii) सबसे बड़े व्यास वाले टैंक के लिए आवश्यक अधिकतम अग्निशमन जल प्रवाह तथा प्रभावी प्रक्षेपण दूरी की आवश्यकता के अनुसार एक उच्च क्षमता का परिवर्तनीय मोबाइल एचवीएलआर फोम मॉनिटर (अधिकतम आवश्यकता के अनुरूप) अथवा दो मध्यम क्षमता के परिवर्तनीय मोबाइल एचवीएलआर फोम मॉनिटर (अधिकतम आवश्यकता के आंशिक अनुरूप) उपलब्ध कराए जाएंगे।

(viii) 12,500 एलपीएम (लगभग 3,300 GPM) तक की क्षमता वाले एचवीएलआर का अभिकल्प भारतीय मानक आईएस: 15811 के अनुरूप होगा। 12,500 एलपीएम से अधिक क्षमता वाले एचवीएलआर के लिए सामग्री संबंधी विनिर्देश आईएस:15811 के अनुरूप होंगे। एचवीएलआर के अन्य विनिर्देश, जैसे प्रवाह, प्रक्षेपण दूरी आदि, पेट्रोलियम स्थापना विनियम, 2020 हेतु टी4एस के लिए तकनीकी समिति द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार होंगे, जब तक कि इस संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संबंधित मानक अधिसूचित नहीं किया जाता।

(ix) एचवीएलआर किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन संस्था जैसे बीआईएस, यूएल या एफएम या समकक्ष मान्यता प्राप्त एचवीएलआर प्रमाणित एजेंसियों द्वारा सूचीबद्ध अथवा अनुमोदित होना चाहिए ।

14.4.3 मानव संसाधन/प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकताएँ।

किसी भी अग्नि या आपातकालीन स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एफईआरए स्टेशन में विशेषीकृत और विशेषज्ञ अग्निशमन दल तैनात किया जाएगा।

(i) एफईआरए सुविधाओं को पूरी तरह से समर्पित अग्निशमन दल द्वारा चौबीसों घंटे बनाए रखा जाएगा, जिसमें प्रत्येक पारी में चार (4) कर्मी होंगे, जिनमें एक पारी अधिकारी शामिल है।

(ii) सामान्य पाली में एक अधिकारी, जिसे पूरे अग्निशमन संचालन, सुरक्षा और प्रशिक्षण देने में विशेषज्ञता प्राप्त हों।

(iii) एफईआरए अग्निशमन दल के लिए योग्यता मानदंड निम्नलिखित होंगे:

क्र. सं.	पदनाम	ड्यूटी/शिफ्ट पद	योग्यता	जोखिमपरक उद्योग में अग्निशमन का न्यूनतम अनुभव
1	एफईआरए प्रभारी	सामान्य पाली प्रभारी	अग्नि अभियांत्रिकी अथवा अग्नि एवं सुरक्षा अभियांत्रिकी में बी.ई./बी.टेक. उपाधि	07 वर्ष
2	एफईआरए अधिकारी	पाली प्रभारी	मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेशन अधिकारी प्रमाणपत्र के साथ स्नातक	05 वर्ष
3	एफईआरए दल	पाली दल	मान्यता प्राप्त संस्थान से सहायक अधिकारी प्रमाणपत्र के साथ स्नातक	02 वर्ष

(iv) प्रत्येक दल को एचवीएलआर संचालन, अग्नि पंप संचालन, फोम तैनाती, एससीबीए उपयोग और आपातकालीन समन्वय आदि में कुशल होना चाहिए।

(v) तैनात किया गया मानव बल सभी उपकरणों का रखरखाव करेगा साथ ही साथ उपकरणों की नियमित जाँच/पीएमसी करेगा, मॉक ड्रिल में भाग लेगा आदि, जिसमें अग्निशमन में इकाई के कर्मियों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है।

(vi) एफईआरए अग्निशमन दल को शासी समिति द्वारा निर्धारित योग्य एजेंसी/व्यक्ति द्वारा वर्ष में एक बार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(vii) एफईआरए दल नियमित रूप से अधिकारियों/सुरक्षा कर्मियों, ठेकेदार कर्मचारियों को जोखिम और आपातकालीन प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

14.5 एफईआरए सुविधाएं: स्वामित्व और संचालन मॉडल:

(a) एफईआरए सुविधाएं निम्नानुसार प्रदान की जाएंगी:

(i) एकल पृथक स्थापना के मामले में, संबंधित इकाई को एफईआरए सुविधाएँ स्वयं स्थापित करनी होंगी और आवश्यक मानव बल या तो स्वयं प्रदान करनी होगी या अधिकृत अनुबंधों के माध्यम से पेशेवर अग्निशमन एजेंसी(ओं) के माध्यम से आउटसोर्स करनी होगी।

(ii) स्थानों के समूह के मामले में, सभी संबंधित इकाइयां अपनी-अपनी कुल टैंक भंडारण क्षमता के अनुपात में लागत-साझेदारी के आधार पर संयुक्त रूप से फेरा सुविधाओं की स्थापना करेंगी और आवश्यक मानव शक्ति को स्वयं या अधिकृत अनुबंधों के माध्यम से पेशेवर अग्निशमन एजेंसी(ओं) के माध्यम से आउटसोर्सिंग के जरिए प्रदान करना होगा।

(b) आउटसोर्सिंग के मामले में, विक्रेता का चयन क्यूसीबीएस टेंडरिंग (तकनीकी मानदंडों का भारिता-70%) के आधार पर किया जाना चाहिए। निविदा/अनुबंध की शर्तों और नियमों में विक्रेता के लिए सख्त दंड प्रावधान शामिल होंगे। यदि कोई भी वैधानिक नियम/विनियम का पालन न किया गया हों या मॉक ड्रील या वास्तविक आपात स्थिति के दौरान प्रदर्शन में कमी रहें, तो दंड दिया जा सकता है।

(c) एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें क्लस्टर के भीतर सभी स्थापनाओं के सदस्य शामिल होंगे, जो निम्नलिखित को परिभाषित करेंगे/निर्णय देंगें:-

(i) एफईआरए सुविधा संपदा के लिए स्वामित्व स्थान, संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी;

(ii) क्लस्टर के भीतर किसी भी स्थापना में एफईआरए सुविधाओं को गतिशील करने के लिए सक्रियण प्रोटोकॉल, जिसमें संचार और प्राधिकृत करने के चरण शामिल हैं;

(iii) किसी घटना के दौरान काबू पाना और नियंत्रण,

(iv) पारस्परिक सहायता सदस्यों, स्थानीय/जिला संकट समूहों और बाहरी आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए प्रबंधन;

(v) पूंजी व्यय और संचालन व्यय के लिए लागत साझा करना, वित्तपोषण और प्रतिपूर्ति व्यवस्था;

(vi) आपातकाल में प्रयुक्त एफईआरए सुविधाओं के संसाधनों के लिए दायित्व, क्षतिपूर्ति और नुकसान/पुनःपूर्ति; और

(vii) तैयारियों की समीक्षा, रखरखाव, पद्धति, क्षमता सुनिश्चित करना, रिपोर्टिंग और ऑडिट के लिए प्रक्रियाएँ

(viii) किसी अन्य प्रक्रिया या एसओपी जो कि शासन समिति द्वारा उपयुक्त समझी जाती हों, आदि

(ix) किसी अन्य तेल और गैस स्थापना को लागत साझा करने के आधार पर एफईआरए सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देना

14.6 लेखापरीक्षा और अनुपालन:

(a) एफईआरए प्रभारी एफईआरए सुविधाओं का मासिक आंतरिक ऑडिट करेगा तथा समीक्षा और आवश्यक कार्रवाई के लिए ऑडिट रिपोर्ट को संचालन समिति को प्रस्तुत करेगा।

(b) संचालन समिति लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए एफईआरए प्रणाली का वार्षिक ऑडिट करेगी।

(c) पेट्रोलियम स्थापनाओं के लिए टी4एस और ईआरडीएमपी ऑडिट क्रमशः हर तीन (3) वर्ष और पांच (5) वर्ष में किए जाएंगे। यह प्रावधान है कि यदि ऑडिट की जा रही स्थापना एफईआरए सुविधाओं वाले समूह का हिस्सा है, तो ऐसे एफईआरए सुविधाओं का ऑडिट और मॉक ड्रील समूह-व्यापी मूल्यांकन के हिस्से के रूप में किया जाएगा।

(d) क्लस्टर-आधारित एफईआरए सुविधा के मामले में, एफईआरए सुविधाओं के प्री-कमिशनिंग के समय पीएनजीआरबी द्वारा मान्यता प्राप्त टीपीआईए द्वारा ऑडिट किया जाएगा।

अनुप्रयुक्त कोड, मानक और नियम:

- आईएस 15105: स्थिर स्वचालित स्प्रिंकलर अग्निशमन प्रणाली की रूपरेखा और स्थापना—आचार संहिता
- आईएस 15811 : अग्निशमन के लिए स्व-प्रेरण, वायु-मिश्रित एवं अवायु-मिश्रित जेट तथा स्प्रे/फॉग नोज़ल युक्त दीर्घ-परास जल-फोम मॉनिटर — विशिष्टियां।
- एनएफपीए– 11 : निम्न, मध्यम और उच्च विस्तार फोम के लिए मानक
- एनएफपीए – 13 : स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित करने का मानक
- एनएफपीए – 14 : स्टैंडपाइप और होज़ सिस्टम्स की स्थापना के लिए मानक
- एनएफपीए – 15 : अग्नि सुरक्षा के लिए जल छिड़काव स्थिर प्रणालियों के लिए मानक
- एनएफपीए – 20 : अग्नि सुरक्षा के लिए स्थिर पंपों की स्थापना हेतु मानक
- एनएफपीए 22 : निजी अग्नि संरक्षण हेतु जल भंडारण टंकियों संबंधी मानक।
- एनएफपीए – 24 : निजी अग्निशमन सेवा मुख्य और उनके सहायक उपकरणों की स्थापना के लिए मानक

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./285/2026-27]

पाद टिप्पणी:

1. मूल विनियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम स्थापनाओं के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) नियम, 2020, भारत के राजपत्र में दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को फा. सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/7-टी4एस पीआई(1)/2020 के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे।
2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम स्थापनाओं के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधित विनियम, 2023, को भारत के राजपत्र में दिनांक 29 मार्च 2023 फा.सं.पीएनजीआरबी/तकनीकी/7-टी4एसपीआई/(1)/2022 (पी-4116) के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे ।
3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम स्थापनाओं के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2020) संशोधित विनियम, 2025, भारत के राजपत्र में दिनांक 23 जुलाई 2025 को पीएनजीआरबी/तकनीकी/18-जुर्माना-टी4एसआरपंजीकरण./(9)/2024(ई-5488)/ के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2026

F. No. PNGRB/Tech/7-T4SPI/(2)/2023 (E-4292) .— In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following Regulations to further amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum Installations) Regulations, 2020, namely: -

1. **Short title and commencement**: -

   1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum Installations) Amendment Regulations, 2026.

   2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum Installations) Regulations, 2020, -

   (a) In Regulation 6, in serial no. (a)after the words "…. Part - I" and before the words "which covers….", the word "and Part - L" shall be inserted.

   (b) In Schedule-1, after PART-K (Lube manufacturing and filling plants), the following shall be inserted, namely: -

Part – L

(Fire & Emergency Response Augmentation -FERA)

14.0 Fire & Emergency Response Augmentation Facilities

14.1 FERA Facilities: Philosophy:

Level - III is an emergency or an incident with off-site impact which could be catastrophic and is likely to affect the population, property, and environment inside and outside the installation. Hence, to prevent the progression of an incident to a Level – III emergency, Fire & Emergency Response Augmentation including expert/specialized firefighters are required for 'Extreme risk' Locations. Augmentation of Fire Facilities/Emergency Response is needed to initiate response to any emergency immediately but not later than 30 minutes from the time of occurrence of fire/leakage/spill and control / extinguish the fire within 65 minutes from initiation of firefighting to prevent a catastrophic impact. The requirements of Part E (*Fire Protection and Prevention Facilities*) and any other provisions in these regulations relating to fire water, water sprinkler system, foam systems, emergency response, mutual aid and firefighting manpower deployment etc., shall be supplemented by this Part for identified Extreme Risk Locations.

14.2 Applicability:

This part will be applicable to Priority locations (both existing and upcoming) falling under the category of 'Extreme Risk' locations as under:

(i) Petroleum installation having total storage in excess of 150 TKL of Class A and Class B petroleum products (with Class C considered where co-existing).

(ii) Crude oil storage terminals, coastal crude receipt storage terminals and similar crude handling terminals of strategic significance having total storage in excess of 150 TKL.

(iii) Cluster of petroleum installations (adjacent / nearby location i.e. located within 10 kms radius) having cumulative storage in excess of 150 TKL of Class A and Class B petroleum products (with Class C considered where co-existing).

Note: Timeline for Implementation of FERA facilities shall be as under:

S. No	Storage Capacity in TKL	Implementation Schedule (from the date of publication in official gazette)
1	150-200	within 5 years
2	200-300	within 3 years
3	300 and above	Within 2 years

14.3 Objective of FERA:

(i) To ensure state-of-the-art Firefighting/Emergency handling facilities and operational readiness for petroleum installations with high storage volumes falling under the Priority Location category.

(ii) Each Priority Location shall establish and maintain FERA facilities with the intent to control major incidents in its early stages and to prevent escalation into a Level-III emergency. Response to any fire shall commence immediately but not later than 30 minutes from the time of occurrence of fire/leakage/spill and Fire should be controlled / extinguished within 65 minutes from initiation of firefighting.

(iii) To deploy expert and specialized firefighting personnel at Priority Locations for rapid and effective emergency response.

(iv) To establish a coordinated approach for implementation and mutual support under FERA across clusters of installations.

14.4 FERA Facilities: Design, Infrastructure, Equipment and Manpower:

14.4.1 Design.

The basic design for fire protection system shall be as per Part E of these Regulations and applicable NFPA standards, whichever is higher, including the following:

(i) Each Priority Location identified under clause 14.2 shall establish and maintain FERA facilities at a Host Installation preferably with the highest diameter tanks, within the Cluster.

(ii) The fire water, foam and other Firefighting and rescue equipment etc. shall be shared between installations in a cluster, to the maximum 50% of available fire water and foam shall be shared with other installations in case of emergency within the cluster.

(iii) The Integrated Emergency Control Centre (IECC) of FERA facilities shall be preferably established at the available Emergency Control Centre (ECC) of the Host installation within the clusters. Integrated ERDMP document shall be prepared in case of continuous cluster.

(iv) In case the provisions under sub-clauses (i), (ii) and (iii) above are not feasible due to geographical constraints etc., each isolated locations should develop its own facilities to combat major incident. Such locations shall initiate response immediately but not later than 30 minutes from the time of occurrence of fire/leakage/spill and Fire should be controlled / extinguished within 65 minutes from initiation of firefighting and shall have 20% more water and foam storage/pumping rate, in addition to the Basic design mentioned above.

(v) Foam compound at the Priority locations should be of similar type/specifications within a cluster.

(vi) After any emergency, fire water, foam & other resources shall be replenished to at least 50% (of statutory minimum requirement) within 12 hours from the initiation of firefighting and fully replenished (100% of statutory minimum requirement) within 24 hours of all clear siren.

14.4.2 Infrastructure & Equipment at the Host Installation.

(i) All the requirements of the equipment and supporting infrastructure including Fire and Foam Protection System, Fire Water System, Fire Water & foam Storage, Fire water pumps, etc., shall be as per Part E of these Regulations or latest NFPA standards, whichever is higher. Augmentation of fire water & foam systems shall be based on risk assessment for cumulative storage and subsequent calculation of required water/foam, taking into account available firefighting facilities including any bottlenecks, to ensure the required water/foam application including storage, pumping and delivery rate/pressure.

(ii) Existing fire water & foam network shall be modified, if required, to ensure adequate flow rate and sharing of water/foam within the cluster. Modifications should include interconnection of water/foam storage, pump suction pipelines, pump discharge pipelines, etc.

(iii) If any augmentation of pumping is required, it shall preferably be done location having highest pumping capacity, and discharge pipeline shall be extended to each installation within the cluster, preferably near to the tank with the highest diameter.

(iv) Adequate number of equipment such as fixed & mobile HVLRs (trolly mounted) along with hoses of adequate diameter (supporting the required flow rate), fire proximity suits, SCBA sets, PPEs, etc. shall be provided at desired location.

(v) The Integrated Emergency Control Centre (IECC) of FERA facilities shall be equipped with all required documents, communication facilities (including hotline service), Alarm Systems, CCTV monitoring, Drone etc. for all installations within the cluster, as mandated for Emergency control centre (ECC) of each installation.

(vi) Dedicated FERA station shall be designed to house manpower as well as required equipment for firefighting/emergency handling preferably near to the IECC and at location from where the response time to all assisted installations is optimum.

(vii) As per maximum firewater flow/range requirement for the largest dia. tank, either one (of max. requirement) high-capacity or two (part of max. requirement) medium-capacity, variable mobile HVLR foam monitor(s) shall be provided.

(viii) Design of HVLR for capacity up to 12500 LPM (~3300 GPM) shall be as per IS:15811. HVLR of higher capacity (more than 12500 LPM) shall conform to material specifications as per IS: 15811. Other specifications of HVLR based on flow, range etc. shall be as finalized by the Technical Committee for T4S for

Petroleum Installations Regulations, 2020, until BIS standard for the same is notified.

(ix) HVLR shall be listed or approved by national or international certification such as BIS, UL or FM or equivalent recognised HVLR certifying agencies.

14.4.3 Manpower/Trained Personnel Requirements.

Specialised and expert firefighting crew shall be deployed in FERA Station to ensure quick and effective response in case of any fire or emergency.

(i) The FERA Facilities shall be maintained by a dedicated firefighting crew deployed on a round-the-clock basis, with four (4) personnel per shift including one shift officer.

(ii) One officer in general shift with expertise in overseeing the entire firefighting operations, safety and providing training.

(iii) The qualification criteria for the FERA firefighting crew shall be as follows:

Sr. No.	Designation	Duty/Shift Position	Qualification	Minimum Experience of firefighting in Hazardous industry
1	FERA Incharge	General Shift Incharge	BE / B Tech in Fire Engineering or Fire & Safety Engineering	07 years
2	FERA Officer	Shift Incharge	Graduate with Station officer certification from recognized Institute	05 years
3	FERA Crew	Shift Crew	Graduate with Sub officer certification from a recognized Institute	02 years

(iv) Each team must be competent in HVLR operation, fire pump operation, foam deployment, SCBA use, and emergency coordination, etc.

(v) The manpower deployed shall maintain all the equipment besides carrying out routine checks/PMS of the equipment, participate in mock drills etc. including providing training to the personnel of entity in firefighting.

(vi) FERA firefighting crew should be trained by competent agency/ person as decided by Governing committee once in a year.

(vii) FERA Crew will regularly impart training to officials/security personnel, contractor manpower with respect to hazards and emergency handling.

14.5 FERA Facilities: Ownership and Operating Models:

(a) FERA facilities shall be provided as per following:

(i) In case of single isolated installation, the concerned entity shall set up FERA facilities and provide required manpower on its own or through outsourcing to professional firefighting agency(s) through authorized contracts.

(ii) In case of cluster of locations, all concerned entities shall jointly setup FERA facilities on cost sharing basis in proportion to their total tank storage capacity and provide required manpower on their own or through outsourcing to professional firefighting agency(s) through authorized contracts.

(b) In case of outsourcing, vendor selection should be based on QCBS tendering (having Technical Criteria weightage-70%). The tender/contract terms and conditions shall include stringent penalty provisions for the vendor in case of any non-compliance of statutory rules/regulations or deficiency in performance during mock drill or actual emergency.

(c) A governing committee shall be formed constituting of members of all installations within the cluster who shall define/decide:

(i) ownership, location, custody and maintenance responsibility for the FERA Facilities assets;

(ii) activation protocol for mobilisation of the FERA Facilities to any installation within the Cluster, including communication and authorisation steps;

(iii) command and control during an incident,

(iv) arrangements for coordination with mutual aid members, local / district crisis groups and off-site emergency response agencies.

(v) cost sharing, funding and reimbursement arrangements for capital expenditure and operating expenditure;

(vi) liability, indemnification and damage to / replenishment of FERA Facilities resources used in an emergency; and

(vii) procedures for readiness review, maintenance, drills, competency assurance, reporting and audit.

(viii) Any other processes or SOPs as deemed fit by the governing committee, etc.

(ix) Allowing any other oil and gas installation to use FERA facilities on cost sharing basis.

14.6 Audits and Compliances:

(a) The FERA In-charge shall carry out a monthly internal audit of the FERA facilities and submit the audit report to the Governing Committee for review and necessary action.

(b) The Governing Committee shall conduct an annual audit of the FERA system to ensure compliance with applicable statutory and regulatory requirements.

(c) T4S and ERDMP audits for Petroleum Installations shall be carried out every three (3) years and five (5) years respectively. Provided that where the auditee installation forms part of a cluster housing FERA facilities, the audit and mock drill of such FERA facilities shall be undertaken as part of the cluster-wide assessment.

(d) In case of a cluster-based FERA facility, an audit shall be conducted by a PNGRB- empaneled TPIA at the time of pre-commissioning of the FERA facilities.

Applicable Codes, Standards and Regulations:

- IS 15105: Design And Installation of Fixed Automatic Sprinkler Fire Extinguishing Systems — Code of Practice
- IS 15811: Long-Range Water-cum-Foam Monitor with Self-Inducting, Aspirating and Non-Aspirating Jet and Spray/Fog Nozzle for Fire Fighting -Specification
- NFPA – 11: Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam
- NFPA – 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems
- NFPA – 14: Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems
- NFPA – 15: Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection
- NFPA – 20: Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection
- NFPA – 22: Standard for Water Tanks for Private Fire Protection
- NFPA – 24: Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances

”

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./285/2026-27]

Foot Note:

1. The principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum Installations) Regulations, 2020, were notified in the official Gazette vide F. No. PNGRB/Tech/7- T4SPI (1)/2020, dated 11th November 2020
2. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum Installations) Amendment Regulations, 2023, were notified in the official Gazette vide F. No. PNGRB/Tech/7- T4SPI/(1)/2022 (P-4116), dated 29th March 2023.
3. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum Installations) Regulations, 2020) Amendment Regulations, 2025, were notifies in the official Gazette vide PNGRB/ Tech/18-penalty-T4S Reg./(9)/2024(E-5488)/ dated 23rd July 2025

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA